राजस्व वाद 01/2020
चेनाराम बनाम लिछमणराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 01/2020

वादीगण –

1. चेनाराम पुत्र लिछमणराम
2. कृष्ण गोपाल पुत्र लिछमणराम
   जातियान–कुम्हार निवासीगण–छापड़ा, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. लिछमणराम पुत्र छोगाराम
   जातियान–कुम्हार, निवासी–छापड़ा तहसील–जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री हरिसिंह मांगलिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक :** 08.02.2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बडेर के खेत मौजा छापड़ा तहसील जायल में खसरा नं. 781/971 रकबा कुल रकबा 57.18 बीघा, में से 10 बीघा भूमि का बैचान कर दिये जाने से अब 47.18 बीघा भूमि स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा पैरा संख्या 2 (क से ग) माफिक नजरी नक्शानुसार कर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

08/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 14.08.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री हरिसिंह मांगलिया ने पेश किया। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह चेनाराम पुत्र लिछमणराम, कृष्ण गोपाल पुत्र लिछमणराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम ग्राम छापड़ा तहसील–जायल सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 712/667 प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2025–2028 खाता संख्या 82 प्रदर्श–2 पेश की। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा राजीनामें में पक्षकारान के मध्य ग्राम छापड़ा तहसील–जायल के खसरा नं. 781/971 रकबा 47.18 बीघा की भूमि का आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.08.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामें पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है वकील वादी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में मुतदाविया खेताय की कुल भूमि 57.18 बीघा भूमि मे से 10 बीघा का बैचान (प्रेमादेवी पत्नि पूर्णाराम, सुमित्रादेवी पत्नि चेनाराम) किया जाना अंकित किया है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.08.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 781/971 की भूमि का माफिक नजरी नक्शानुसार बंट चाहा है तथा जो पूर्णरूपेण विभाजन नहीं है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खेताय में खसरा नं. 781/971 की भूमि का हिस्सा विशेष बंटवारा के रूप में चाहा गया है। जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतदाविया खेताय में से 5–5 बीघा भूमि का बैचान प्रेमोदवी व सुमित्रा को किया गया है जिसका नजरी नक्शा में बैचान किये गये हिस्से को भी अंकित किया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा मुतदाविया खेताय की भूमि में 10 बीघा भूमि का बैचान किये जाने तथा पक्षकारान् के मध्य हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 03.11.2020 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारीत किये गये।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 03.11.2020 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 185 दिनांक 11.01.2021 प्राप्त हुआ, जिसपर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की तथा वाद को

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 01/2020
चेनाराम बनाम लिछमणराम वगैरह

माफिक बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल दिनांक 11.01.2021 अन्तिम डिक्री के अनुसार स्वीकार किये जाने में पक्षकारान् की सहमति है अतः वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 185 दि.11.01.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी चेनाराम के हक बंट खातेदारी में मौजा छापड़ा तहसील–जायल के खसरा नं. 781/971 में से 3.0756 हैक्टैयर उतरी पूर्वी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी कृष्ण गोपाल के हक बंट खातेदारी में मौजा छापड़ा तहसील–जायल के खसरा नं. 781/971 में से 3.0756 हैक्टैयर उतरी पश्चिमी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी लिछमणराम के हक बंट खातेदारी में मौजा छापड़ा तहसील–जायल के खसरा नं. 781/971 में से 1.6026 हैक्टैयर दक्षिणी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 11.01.2011 आदेश का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

08/02/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 01/2020
चेनाराम बनाम लिछमणराम वगैरह

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 01/2020

वादीगण –

1. चेनाराम पुत्र लिछमणराम
2. कृष्ण गोपाल पुत्र लिछमणराम
   जातियान–कुम्हार निवासीगण–छापड़ा, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. लिछमणराम पुत्र छोगाराम
   जातियान–कुम्हार, निवासी–छापड़ा तहसील–जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री हरिसिंह मांगलिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री हरिसिंह मांगकिलया प्रतिवादी संख्या 2 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादी चेनाराम के हक बंट खातेदारी में मौजा छापड़ा तहसील–जायल के खसरा नं. 781/971 में से 3.0756 हैक्टैयर उतरी पूर्वी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी कृष्ण गोपाल के हक बंट खातेदारी में मौजा छापड़ा तहसील–जायल के खसरा नं. 781/971 में से 3.0756 हैक्टैयर उतरी पश्चिमी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

08/07/2021
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

3. प्रतिवादी लिछमणराम के हक बंट खातेदारी में मौजा छापड़ा तहसील–जायल के खसरा नं. 781/971 में से 1.6026 हैक्टैयर दक्षिणी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव क्रमाक : 185 दिनांक 11.01.2011 डिक्री आदेश का भाग रहेगा।

08/02/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर * जायल (एस.डी.ओ.)

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/02/2021 .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

08/02/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर * जायल (एस.डी.ओ.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) जायल

---×××---

क्रमांक/भू०अ०/प्राथमिक डिक्री/2021/185 दिनांक 11-1-2021

Court
for
04/02/2021

प्रेषिति :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव भेजने बाबत् ।

उपरोक्त विषय में आपके न्यायालय से प्राथमिक डिक्री वाद सं. 01/2020 निर्णय दिनांक 03-11-2020 के लिए इस कार्यालय से पत्रांक / दिनांक 3482/2-12-2020 से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया, उक्त प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव तैयार होकर इस कार्यालय में जमा हो गया है, जो कार्यालय उप तहसीलदार डेह जिला नागौर का क्रमांक : राजस्व/2021/02 दिनांक 4-01-2021 है

आपके न्यायालय की प्राथमिक डिक्री वाद सं. 01/2020 निर्णय दिनांक 03-11-2020 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में मूल/प्रमाणित के इस पत्र संलग्न भेजे जा रहे हैं,

अतः आपके न्यायालय के वाद सं. 01/2020 नि० दि० 03-11-2020 प्राथमिक डिक्री पालना सेवामें प्रेषित है।

संलग्न :- बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में
मूल / प्रमाणित

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

मौका फर्द

आज दिनांक 22/12/2020 को न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय जायल के राजस्व वाद संख्या 01/2020 एवं तहसीलदार महोदय जायल के आदेश क्रमांक/भू.अ./प्राथमिक डिग्री 2020/3482 दिनांक 2-12-2020 की पालना में ग्राम छापड़ा के ख.नं. 781/971 पर मौके पर पहुँचा। मौके पर चेनाराम पुत्र लिछमणराम, कृष्णगोपाल S/o लिछमणराम, लिछमणराम S/o छोगाराम जाति कुम्हार निवासी छापड़ा की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। मौके पर उत्तरी पूर्वी भाग चेनाराम S/o लिछमणराम का कब्जा काश्त है जिसका रकबा 3.0756 हे. है। कृष्ण गोपाल S/o लिछमणराम के उत्तरी पश्चिम भाग पर कब्जा काश्त है जिसका रकबा 3.0756 हे है। तथा लिछमणराम S/o छोगाराम के दक्षिण भाग पर कब्जा काश्त है जिसका रकबा 1.6026 हे. है जो नजरी नक्शा अनुसार है।

वादी व प्रतिवादी गण आपसी सहमति से बंटवारा करवाना चाहते है जो नजरी नक्शानुसार सही है। मौके पर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये।

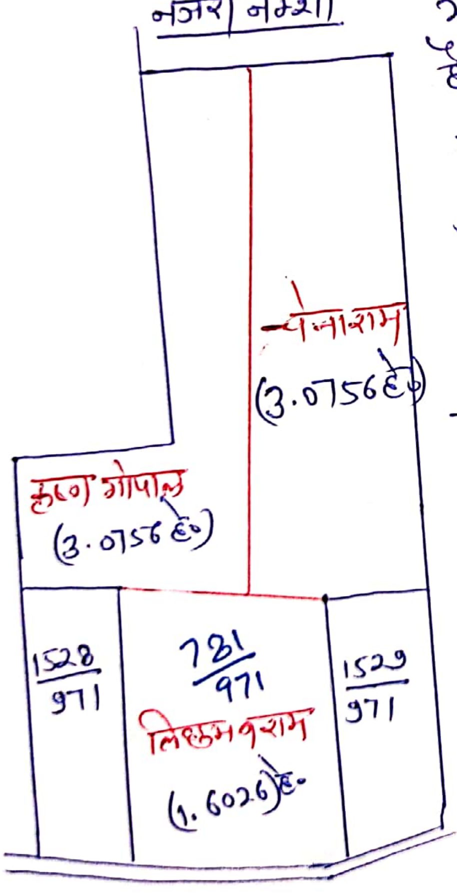

22.12.2020
NT deh

22/12/2020
ग्रा.प. छापड़ा

चेनाराम

अ.नि. लिछमणराम

P.S. - कृष्ण गोपाल तथा चेनाराम के बंट में आयी हुई भूमि के लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया है क्योंकि दोनों के दक्षिण में इनके पिता का बंट है तथा चेनाराम की पत्नि सुमित्रा का खेत ख.नं. 1529/971 है जिसके दक्षिण में करणी रास्ता लगता है।

22.12.2020
N.T. deh

कृष्ण गोपाल

सत्यवीर

C.S.
08/01/2021
सहायक ...